



प्रेस विज्ञप्ति

25.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने छंगुर बाबा व अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नीतू नवीन रोहरा द्वारा अर्जित 13.02 करोड़ रुपये मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये सभी अचल संपत्तियाँ उतरौला, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

ईडी ने एटीएस, लखनऊ द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी एक व्यापक साजिश का आरोप लगाया गया था। छंगुर बाबा और उनके सहयोगियों पर बलरामपुर स्थित चांद औलिया दरगाह परिसर से संचालित एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने का आरोप है, जहाँ वे नियमित रूप से भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों की बड़ी सभाएँ आयोजित करते थे। उन पर अन्य धर्मों के लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और हिंदू धर्म से संबंधित आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, दबाव डालने और उनके साथ छल करने का आरोप है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि छंगुर बाबा और नवीन रोहरा ने एक सुनियोजित साजिश रची थी। उन्होंने अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए नवीन रोहरा की दुबई स्थित कंपनी, यूनाइटेड मरीन एफ़ज़ेडई के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। बाद में, 21.08 करोड़ रुपये की वह राशि नवीन रोहरा के एनआरई/एनआरओ खातों के माध्यम से भारत भेजी गई। छंगुर बाबा और नवीन रोहरा द्वारा दुबई से भारत लाए गए धन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में नवीन रोहरा की पत्नी नीतू रोहरा के नाम पर कई अचल संपत्तियाँ खरीदने में किया गया।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि छंगुर बाबा और नवीन रोहरा को इस मामले में ईडी द्वारा क्रमशः 28.07.2025 और 04.08.2025 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वे दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।

